

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-1, चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी- आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. -54ए/16
संस्थित दिनांक - 12.01.2015

1. हजरत सिंह पुत्र हरदेव सिंह लोधी आयु-54 वर्ष
 2. परमाल सिंह पुत्र हरदेव सिंह लोधी आयु-43 वर्ष
- निवासीगण ग्राम बांकलपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादीगण

विरुद्ध

1. बृजभान सिंह लोधी पुत्र लाल सिंह आयु 41 वर्ष
 2. छत्रसाल पुत्र लाल सिंह लोधी आयु 36 वर्ष
 3. त्रिलोक सिंह पुत्र राजाराम आयु 26 वर्ष
- निवासीगण खलखो तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
4. अतल बाई पत्नी गोधन सिंह आयु 55 वर्ष
- निवासी ग्राम बम्होरीकलां तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0
5. मुन्नी बाई पत्नी सुल्तान सिंह लोधी आयु 39 वर्ष
- निवासी ग्राम चिरौली
6. जयकुंवर बाई पत्नी शिवाल सिंह लोधी आयु 39 वर्ष
- निवासी ग्राम किशलवास जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश
7. रवि बाई पत्नी हरदेव सिंह लोधी आयु 36 वर्ष
- ग्राम पिपरा चमरिया तहसील पिछोर जिला शिवपुरी म0प्र0
8. महेन्द्रपाल सिंह पुत्र मानसिंह लोधी आयु 23 वर्ष
- निवासी ग्राम देवलखो तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
9. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
- जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //:: आज दिनांक 27.03.17 को पारित ::

- 01— यह वाद ग्राम बाकलपुर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक—138 रक्बा—0.084 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक—140 रक्बा—0.073 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक—187 रक्बा—0.867 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रक्बा—1.02 हैक्टेयर जिसे निर्णय के आगे चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है पर वादी का स्वत्व घोषित किये जाने की सहायता सहित राजस्व अभिलेखों में उक्त विवादित भूमियों पर वादी का नाम अंकित कराने का अधिकार घोषित किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया।
- 02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता हरदेव के नाम अंकित थी, हरदेव की मृत्यु हो चुकी है किंतु अभी तक उक्त विवादित भूमियों पर वादी का नामांतरण स्वीकार नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक—4 लगायत 7 वादीगण की बहनें हैं जिनकी सहमति से वादीगण के पिता ने वसीयत नामा संपादित किया था जिसके आधार पर वादीगण वाद ग्रस्त भूमि के स्वामी हैं। वादीगण के पिता हरदेव ने दिनांक 16.07.04 को सर्वे क्रमांक—55 रक्बा—0.272 है, सर्वे क्रमांक—364/34 रक्बा—0.345 हैक्टेयर में से—0.417 हैक्टेयर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 तथा 8 को विक्रय कर अधिपत्य दे दिया था तथा दिनांक—01.12.05 को सर्वे—55 रक्बा—0.272 हैक्टेयर में से 0.200 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रय कर अधिपत्य दे दिया था। उक्त भूमियों पर क्रेतागण का नामांतरण स्वीकार हो गया है तथा विक्रित भूमि से वादीगण का संबंध नहीं है। दिनांक—24.11.14 को वादीगण ने जब विवादित भूमियों पर नामांतरण कराने के लिये उक्त विवादित भूमियों की खसरा खतौनी की नकल प्राप्त की तो वादीगण को जानकारी मिली की विवादित भूमियां भी प्रतिवादी क्रमांक—1 लगायत 3 व 8 के नाम अंकित है। संवत् 2052—2066 की खसरे की नकलें प्राप्त होने पर वादी को ज्ञान हुआ कि उक्त विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक—1 लगायत 3 तथा 8 का नाम गलत अंकित हो गया है। जिसके संबंध में वादी को कोई सूचना नहीं दी गई। प्रतिवादीगण का विवादित भूमियों पर नामांतरण होने से वादीगण संकट में हैं। वाद कारण दिनांक 24.11.14 को विवादित भूमियों की खसरा खतौनी की नकलें प्राप्त होने पर उनमें प्रतिवादीगण का नाम अंकित होने की जानकारी होने से चंदेरी तथा बाकलपुर में उत्पन्न हुआ। जिस पर यह वाद का मूल्यांकन 2000/— रुपये पर करके 500/— रुपये के न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण क्रमांक—1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रतिवादी क्रमांक—4 लगायत 7 के द्वारा अपने जबाव दावें में सम्पूर्ण वाद पत्र के अधिवचनों को स्वीकार किया है तथा विवादित भूमियों पर वादीगण द्वारा वादपत्र में वांछित सहायता उन्हें प्रदान करने का निवेदन किया।

04—प्रतिवादी क्रमांक-1 लगायत 3 व 8 एवं 9 प्रकरण में तामीली उपरांत उपस्थित नहीं हुये, जिसके कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

05— प्रकरण में वादीगण तथा उपस्थित प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के आधार विवाद के बिन्दु न होने से निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्धारित किये जा रहे हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:-

| क्रमांक | विचारणीय प्रश्न | निष्कर्ष |
|---------|--|---|
| 1. | क्या विवादित भूमियां वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमियां हैं ? | प्रमाणित नहीं। |
| 2. | क्या विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 तथा 8 का नाम बिना किसी अधिकार के गलत रूप से राजस्व अभिलेखों में अंकित हुआ है ? | प्रमाणित नहीं। |
| 3. | क्या यह वाद प्रचलन योग्य है ? | प्रमाणित नहीं। |
| 4. | सहायता एवं वाद व्यय ? | निर्णय की कण्डिका 15 अनुसार प्रदान की गई। |

—::सकारण निष्कर्ष::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 विवेचन एवं निष्कर्ष

06— वादीगण की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में हरदेव द्वारा निष्पादित वसीयत नामा प्र०पी० 1 के लेखक त्रिपुरारी शरण चौबे (व०सा०-1) सचिव ग्राम पंचायत अशोक गंगेले (व०सा०-2) स्वयं वादी हजरत सिंह (व०सा०-3) व वसीयत के साक्षी प्रमोद (व०सा०-4) व महेंद्र सिंह (व०सा०-5) एवं वादी साक्षियों के रूप में प्रतिवादी अटल बाई (व०सा०-6) जय कुंभर (व०सा०-7) रवि बाई (व०सा०-8) व मुन्नी बाई (व०सा०-9) के शपथ पर कथन न्यायालय में कराये गये। चूंकि उपस्थित प्रतिवादीगण को भी वादी के द्वारा अपनी ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत किया है तथा उपस्थित प्रतिवादीगण ने वादी के समर्थन में शपथ प्रस्तुत कर वादी साक्षियों का प्रतिपरीक्षण नहीं किया।

07— हजरत सिंह (व०सा०-3) का अपने सशपथ कथनों में कहना है कि विवादित भूमियां उनके पिता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। जिसको उपस्थित प्रतिवादीगण ने कोई चुनौती न देते हुये उक्त संबंध में वादपत्र के अभिवचन को स्वीकार किया है।

विवादित भूमियां वादीगण के पिता हरदेव के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमियां थी इसके संबंध में वादीगण की ओर से उक्त विवादित भूमियां से संबंधित खसरा सवत 2032 से 2066 की सत्यप्रतिलिपि क्रमशः प्र०पी० 8 लगायत 37 प्रस्तुत की हैं। जो कि लोक दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि हैं जिनके सत्यता के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा-79 के तहत उनके असली होने की उक्त धारणा की जावेगी। अतः ऐसे में उपरोक्त दस्तावेजों से इस बात पर लेशमात्र भी संदेह नहीं रह जाता की संवत् 2066 से पूर्व विवादित भूमियां वादीगण के पिता हरदेव के स्वामित्व की भूमिया थी जिनका इंद्राज राजस्व अभिलेख में हरदेव के नाम पर बतौर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था।

08— विवादित भूमि से अन्यथा भूमि सर्वे क्रमांक-55 रक्बा-0.272 है, सर्वे क्रमांक-364/34 रक्बा-0.345 हैक्टेयर में से 0.417 हैक्टेयर वादीगण के पिता हरदेव ने दिनांक 16.07.04 को प्रतिवादी क्रमांक-1 लगायत 3 तथा 8 को विक्रय कर अधिपत्य दे दिया था तथा दिनांक 01.12.05 को सर्वे 55 रक्बा 0.272 हैक्टेयर में से 0.200 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रय कर अधिपत्य दे दिया था। इस संबंध में हजरत सिंह (व०सा०-3) के शपथ पर दिये गये कथन भी अखण्डित हैं, जिनको कोई चुनौती नहीं मिली हैं उपरोक्त संबंध में वादीगण की ओर से सचिव ग्राम पंचायत अशोक गंगेले (व०सा०-2) के कथन न्यायालय में कराये हैं जिन्होंने अपने कथनों में उपरोक्त भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक-1 लगायत 3 व 8 का नाम विक्रय पत्र के आधार पर नामांकरण के होने एवं सर्वे क्रमांक 53/362 रक्बा 0.314 हैक्टेयर में से रक्बा 0.52 हैक्टेयर हजरत सिंह द्वारा त्रिलोक सिंह को दिनांक-02.12.04 को विक्रय किये जाने की पुष्टि की हैं, इस साक्षी के द्वारा प्र०पी०-2 का ठहराव प्रस्ताव ग्राम पंचायत बाकलपुर प्र०पी०-3 व 4 के विक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि एवं क्रेता प्रतिवादीगण के नामांकरण के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी की इस्तहारी प्र०पी०-5 सी, 6 सी, 7 सी के दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किये हैं। जो कि अखण्डित रहे हैं परन्तु उपरोक्त दस्तावेज विवादित भूमियो से संबंधित न होने के कारण साक्षी अशोक गंगेले (व०सा०-2) की साक्ष्य एवं उपरोक्त दस्तावेजों से वादीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

09— वर्तमान प्रकरण में वादीगण ने विवादित भूमियों पर अपने स्वामित्व का आधार उनके पिता का विवादित भूमियो पर स्वामित्व व आधिपत्य होना एवं पिता के द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक-15.02.11 होना बताया है जिस पर सहमतकर्ता के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 4 लगायत 7 द्वारा भी हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में वादी ने दावे में अभिवचन कर अपने न्यायालीन कथनो में भी कथन दिये हैं उक्त मूल वसीयत नामा प्र०पी०-1 वादीगण की ओर से अपने समर्थन में प्रस्तुत किया गया है जिसमें विवादित भूमिया हरदेव द्वारा वादीगण को वसीयत किये जाने का उल्लेख है तथा जिस पर वादीगण की बहनों के द्वारा भी कोई आपत्ति प्रस्तुत करते हुये सहमति कर्ता के रूप में हस्ताक्षर भी किया जाना उल्लेखित हैं।

- 10— वादीगण की ओर से अपनी बहनों अटल बाई (व0सा0—6) जय कुंवर (व0सा0—7) रवि बाई (व0सा0—8) व मुन्नी बाई (व0सा0—9) को जिनको इस प्रकरण में प्रतिवादी अपनी ओर से साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया हैं जिन्होंने अपने शपथ पत्र में इस बात की पुष्टि की है कि उनके पिता ने विवादित भूमियों का वसीयत नामा वादीगण के पक्ष में किया था जिस पर उन्होंने सहमति देकर अपना अंगूठा निशानी किया था। वसीयत नामे के साक्षी प्रमोद (व0सा0—4) व महेन्द्र सिंह (व0सा0—5) में भी अपने शपथ पत्र में इस बात की पुष्टि की है कि हरदेव द्वारा प्र0पी0—1 का वसीयतनामा उनके सामने निष्पादित किया था जिस पर महेंद्र ने व उसने बतौर साक्षी हस्ताक्षर किये थे तथा हरदेव के द्वारा भी उस पर अंगूठा लगाया गया था एवं अटल बाई (व0सा0—6) जयकुंवर (व0सा0—7) रवि बाई (व0सा0—8) व मुन्नी बाई (व0सा0—9) ने भी सहमति कर्ता के रूप में उस पर अंगूठे लगाये थे इन साक्षियों ने वसीयत नामा प्र0पी0—1 के अ से अ भाग पर हरदेव का फोटो चस्पा होना व अपने बी से बी व ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। दस्तावेज लेखक त्रिपुरारी चरण (व0सा0—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि हरदेव ने प्र0पी0 1 का वसीयत नामा टाईप कराया था जो उसने हरदेव के कहने पर टाईप किया था। जिस पर हरदेव का छायाचित्र व अंगूठा निशानी उसके सामने लगाया गया था। इस साक्षी ने वसीयत नामा प्र0पी0—1 के साक्षी प्रमोद (व0सा0—4) व महेन्द्र (व0सा0—5)के द्वारा भी वसीयत नामा प्र0पी0—1 पर उसके सामने हस्ताक्षर करने की पुष्टि की है तथा प्रतिवादी क्रमांक—4 लगायत 7 के द्वारा भी सहमति कर्ता के रूप छायाचित्र चस्पा कर उनके द्वारा सहमति दिये जाने की पुष्टि की है।
- 11— वसीयतनामा प्र0पी0 1 के संबंध में अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य अखण्डित हैं तथा उक्त साक्ष्य के आधार पर वादीगण ने वसीयत नामा प्र0पी0—1 को विधिवत प्रमाणित भी किया है। यह उल्लेखनीय है कि वसीयतनामा की निष्पादन दिनांक—15.02.11 अंकित है, वसीयतनामों के बाद वादीगण के पिता की मृत्यु किस दिनांक को हुई, यह वादीगण ने अपने अभिवचनों में व अपनी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है। प्रकरण में वादीगण की ओर से प्र0पी0—32, 33, 34 के खसरा खतौनी वर्ष 2014—15 प्रस्तुत किये हैं, जिस पर विवादित भूमियों पर बतौर भूमि स्वामी प्रतिवादी क्रमांक—1 लगायत 3 व 8 के नाम का इंद्राज हैं। वादीगण की ओर से विवादित भूमियों से संबंधित हरदेव के नाम की प्रविष्टि का अंतिम खसरा संवत्—2062 से 2066 अर्थात् वर्ष 2005—10 तक का प्रस्तुत किया है। वर्ष 2010 के बाद से वर्ष 2014 तक विवादित भूमियां राजस्व अभिलेखों में किस के नाम पर अंकित रही। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 4 लगायत 7 के द्वारा वसीयत नामे पर दी गई सहमति के बाद प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा आवेदन दिनांक—25.04.15 प्रस्तुत कर विवादित भूमियों पर अपना हक त्याग कर वादीगण का भूमि स्वामी स्वत्व घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है। परन्तु इस संबंध में भी वादीगण को यह साबित पहले करना है कि विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 4 लगायत 7 का भी अधिकार बनता था और यदि ऐसा अधिकार वादीगण को दिया भी गया था तो वह पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही दिया जाना था।

- 12— किसी भी व्यक्ति द्वारा वसीयतनामा निष्पादित किये जाने के बाद भी अपने स्वामित्व की भूमियों का अंतरण अपने जीवन काल में किया जा सकता है। यदि वर्ष 2011 को वादीगण के पिता के हरदेव के द्वारा वसीयतनामा निष्पादित किया गया था उसके बाद विवादित भूमियों का अंतरण के हरदेव के द्वारा नहीं किया गया। यह साबित करने का भार भी वादीगण पर है। वादीगण की ओर से अपने अभिवचनों में एव साक्ष्य में यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 व 8 का नाम विवादित भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में गलत अंकित हुआ है परन्तु उक्त नाम किस प्रकार गलत अंकित हुआ है यह साबित करने के लिये वादीगण को संपूर्ण राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने थे। वादीगण का विवादित भूमियों पर नाम तक राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ है तथा प्रतिवादीगण का नाम इंद्राज गलत हुआ है इस का कोई आधार वादीगण के पास नहीं है तथा साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 4 लगायत 7 भी विवादित भूमि में कोई अधिकार रखते थे, इस संबंध में भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा आवेदन दिनांक 25.04.15 भी स्वीकार किया जाने योग्य भी नहीं है।
- 13— वादीगण का वाद आधार यह है कि प्रतिवादीगण के नाम की प्रविष्टि विवादित भूमियों पर गलत अंकित हुई हैं परन्तु मात्र प्र0पी0—पी 1 का वसीयत नामा प्रस्तुत करने से या उसे प्रमाणित करने से वादीगण को विवादित भूमियों पर कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होते हैं कि जब तक की वह यह साबित न कर दे कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 व 8 का नाम की इंद्राज की प्रविष्टि गलत एवं विधिवत नहीं हुई। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमियों के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 व 8 के नाम की प्रविष्टि विधिवत नहीं है जिसके आधार पर विवादित भूमियों पर वादीगण का स्वामित्व व आधिपत्य दोनों ही साबित नहीं होते हैं। अतः **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 प्रमाणित न होने से निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।**

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 विवेचन एवं निष्कर्ष

- 14— प्रतिवादीगण का विवादित भूमियों पर नाम इंद्राज होने की जानकारी होने के बाद भी उक्त प्रविष्टियां का सुधार करने के संबंध में राजस्व न्यायालय में कार्यवाही की जानी थी जो कि वादीगण के द्वारा नहीं की गई राजस्व न्यायालय द्वारा वादीगण के नाम की प्रविष्टि विवादित भूमियों पर करने से इन्कार किया गया, ऐसा कही भी वादी का कहना नहीं है। अतः ऐसे में वादीगण के पास कोई वाद आधार ही नहीं है। मात्र गलत प्रविष्टियों की जानकारी होना धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत घोषणा का वाद लाने का अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक की स्वत्व को नकारा न जाये। अतः प्रस्तुत वाद में कोई वादकारण न होने से यह वाद प्रचलन योग्य भी नहीं है। अतः **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।**

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 का विवेचन एवं निष्कर्षसहायता एवं वाद व्यय

- 15— वादीगण अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:— यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:— वादीगण व प्रतिवादीगण का अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.